# न्यायालय जिला न्यायाधीश, बूंदी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **अजय शुक्ला, आर.जे.एस.**
**(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

दीवानी वाद संख्या : 59/2022

अशोक कुमार **बनाम** शम्भूदयाल व अन्य

**प्रार्थना–पत्र वास्ते इम्पाउण्ड कराने स्टाम्प इकरारनामा**

उपस्थितः–

1. श्री आशुतोष शर्मा, प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता,
2. श्री बालकिशन रायका, अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता,
3. राजकीय अभिभाषक, अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 व 04 की ओर से।

**आदेश** दिनांक : 13.01.2025

01. इस आदेश के माध्यम से प्रार्थी/वादी द्वारा दिनांक 11.11.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र वास्ते इम्पाउण्ड करने स्टाम्प इकरारनामा का निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रार्थी/वादी की ओर से दिनांक 11.11.2024 को एक प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 18.11.2019 को वाद विषयक इकरारनामा निष्पादित किया गया है। उक्त इकरारनामा तत्समय स्टाम्प नहीं मिल सकने के कारण 550/– रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लेखबद्ध है, जिसको इम्पाउण्ड कराया जाकर प्रोपर स्टाम्प के संबंधी उप–महापंजीयक कार्यालय, कोटा से प्रमाण–पत्र प्राप्त करना न्याय हेतु आवश्यक है। अतः इकरारनामा दिनांकित 18.11.2019 को इम्पाउण्ड करने हेतु निवेदन किया गया।

03. उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया गया कि दिनांक 18.11.2019 को प्रार्थी/वादी के पक्ष में अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं किया और न ही कभी स्टाम्प वेण्डर के पास जाकर स्टाम्प खरीदा और न ही किसी नोटेरी वकील के पास जाकर दिनांक 18.11.2019 को नोटेरी पब्लिक से नोटेरी करवाया है। वाद विषयक कृषि भूमि के बाबत् वादी ने कूटरचित दस्तावेज कोई तैयार भी कर लिया हो तो उसे इम्पाउण्ड करवाये जाने का उसे कानूनी अधिकार नहीं है।

वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 29.11.2019 का लिखित व निष्पादित बताया जा रहा है, किंतु प्रार्थी/वादी ने किस प्रावधान एवं धारा के अधीन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, इसका अंकन नहीं होने से प्रार्थी/वादी का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी ने उक्त तथ्यों को अपने प्रतिवाद–पत्र में भी उल्लेखित किया है। अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना–पत्र को कोस्ट पर खारिज किया जावे।

04. अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 03 व 04 की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

05. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 18.11.2019 को वादी के पक्ष में वाद विषयक इकरारनामा निष्पादित किया गया था, जो तत्समय स्टाम्प नहीं मिल सकने के कारण 550/– रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लेखबद्ध है, जिसको इम्पाउण्ड करवाया जाकर प्रोपर स्टाम्पित करवाकर उप महापंजीयक कार्यालय, कोटा से प्रमाण–पत्र प्राप्त करना न्याय हेतु आवश्यक है। अतः इकरारनामा दिनांकित 18.11.2019 को इम्पाउण्ड करवाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की गई। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत Sanjeev Bhardwaj v. Yogeshwar Swaroop Bhatnagar, 2019(4) WLC (Raj.) 348 प्रस्तुत किया।

06. इसके विपरीत अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये यह व्यक्त किया कि इकरारनामा दिनांक 18.11.2019, जिसे इम्पाउण्ड कराने की प्रार्थना की गई है, अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने ऐसा कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं किया और न ही कभी स्टाम्प वेण्डर के पास जाकर स्टाम्प खरीदा और न ही किसी नोटेरी वकील के पास जाकर दिनांक 18.11.2019 को नोटेरी पब्लिक से नोटेरी करवाया है। प्रतिवादी ने उक्त तथ्यों को उल्लेख अपने प्रतिवाद–पत्र में भी किया है। अतः प्रार्थना–पत्र कोस्ट सहित खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

07. हमारे द्वारा उभय पक्ष के तर्कों पर विचारपूर्वक मनन किया गया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया एवं प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सादर ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि हस्तगत वाद वादी की ओर

से प्रतिवादीगण के विरुद्ध संविदा की विशिष्ट पालना एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें साक्ष्य वादी के दौरान दिनांक 11.11.2024 को प्रार्थी/वादी की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी वाद विषयक भूखण्ड से संबंधित उक्त मूल लेख, जो कि इकरारनामा दिनांक 18.11.2019 का है, को इम्पाउण्ड करवाना चाहता है। उक्त इकरारनामा महज 550/– रूपये के स्टाम्प पर लिखकर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाया हुआ है। चूंकि वादी उक्त इकरारनामे को साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाना चाहता है। यद्यपि अप्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से उक्त इकरारनामा के निष्पादन से ही इन्कार किया गया है तथा अपने प्रतिवाद–पत्र में भी इसका उल्लेख किया जाना प्रकट किया है, किंतु इस न्यायालय की सुविचारित राय में यह साक्ष्य की विषय वस्तु तथा इसे इस प्रारंभिक स्तर पर निर्णीत नहीं किया जा सकता है। वैसे भी विधि का यह सुस्थापित नियम है कि अपर्याप्त स्टाम्प के दस्तावेज को संपार्श्विक उद्देश्य के लिये भी काम में नहीं लिया जा सकता है, जब तक कि वह पर्याप्त स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर नहीं हो।

08. ऐसे में हमारे विनम्र मत में उपरोक्त दस्तावेज को यदि वादी साक्ष्य में ग्रहण करवाकर प्रदर्शित करवाना चाहता है तो उसे उक्त दस्तावेज को सक्षम अधिकारी के माध्यम से पर्याप्त स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अदा कर इम्पाउण्ड करवाना होगा। जहां तक प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत संजीव भारद्वाज बनाम योगेश्वर स्वरूप भटनागर का प्रश्न है तो इस न्यायिक विनिश्चय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय पेट्टेटी सुब्बा राव बनाम अनुमाला एस. नरेंद्र, (2002) 10 एस.सी.सी. 427 का अवलंब लेते हुये जो विधिव्यवस्था प्रतिपादित की है, वह हस्तगत मामले में समीचीन जान पड़ती है। अतः न्यायहित में हस्तगत वाद के विधिपूर्ण निर्णय के लिये इसे इम्पाउण्ड कराया जाना न्याय निर्णय एवं विधि के नैसर्गिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये आवश्यक है।

## :: आदेश ::

09. अतः प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना–पत्र बाबत् इम्पाउण्ड कराने स्टाम्प इकरारनामा स्वीकार किया जाकर वादी अशोक कुमार को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त इकरारनामा दिनांकित 18.11.2019 को साक्ष्य

में स्वयं की ओर से प्रदर्शित करवाना चाहता है तो 15 दिवस के अंदर उक्त इकरारनामा दिनांकित 18.11.2019 की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने पर मूल इकरारनामा जिला कलक्टर मुद्रांक, कोटा को प्रेषित किया जावे, जिनके द्वारा उक्त इकरारनामे की प्रकृति का निर्धारण करते हुये उस पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पेनल्टी, आदि का निर्धारण कर ऐसी देय राशि जमा करते हुये राशि जमा किये जाने का पुश्त पर पृष्ठांकन कर अधिकतम एक माह में इम्पाउण्ड कर वापस लौटाये जाने के लिये लिखा जावे।

**(अजय शुक्ला)**
जिला न्यायाधीश, बूंदी
(राजस्थान)

10. आदेश आज दिनांक 13 जनवरी, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश, बूंदी
(राजस्थान)